

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *166
गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

बिजली की खरीद

- *166. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल राज्य विद्युत मंडल (केएसईबी) ने एक निजी कंपनी से 2.83 रु./प्रति यूनिट के हिसाब से तीन सौ मेगावाट बिजली खरीदने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड से साथ कोई समझौता किया है, जबकि सौर ऊर्जा 2 रु./प्रति यूनिट पर उपलब्ध थी;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या विद्युत कंपनियों केरल सरकार को समझौते के अनुसार बिजली बेच रही हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी द्वारा कितने यूनिट बिजली बेची गई; और
- (ङ) क्या केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल से केरल सरकार को सस्ती दर अथवा पूर्ण दर पर बिजली बेची है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

'बिजली की खरीद' के संबंध में पूछे गए दिनांक 28.07.2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 166 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) ने 475 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की बिक्री के लिए केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ करार किए हैं; जिसमें 300 मेगावाट सौर ऊर्जा 2.37 रु. प्रति यूनिट और 175 मेगावाट पवन ऊर्जा 2.82 रु. प्रति यूनिट शामिल है। 'ग्रिड संबद्ध सौर पीवी/पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश' के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के बाद संबंधित अक्षय विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ तय किया गया था और तय किए गए टैरिफ को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ग) और (घ): विद्युत कंपनियाँ विद्युत खरीद करारों के अनुसार केरल सरकार को बिजली बेच रही है। केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन केन्द्रों से आवंटन के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं। केरल के भी अन्य क्षेत्रीय ताप उत्पादकों जैसे बाल्को (95 मेगावाट), झाबुआ (204.25 मेगावाट), जेआईटीपीएल (95 मेगावाट), जेपीएल-II (332.5 मेगावाट) और एमपीएल (140.63 मेगावाट) के साथ दीर्घकालिक प्राप्ति (एलटीए) के साथ निर्धारित अनुबंध हैं।

(ड) डिस्कॉमों को उनके द्वारा उत्पादकों के साथ किए गए विद्युत खरीद करारों (पीपीए) में उल्लिखित टैरिफ के आधार पर बिजली बेची जाती है। केन्द्रीय पूल में उपलब्ध विद्युत का टैरिफ सीईआरसी द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसी दर के अनुसार उत्पादक कंपनियों तथा डिस्कॉमों के बीच पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

'बिजली की खरीद' के संबंध में पूछे गए दिनांक 28.07.2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 166 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दक्षिणी क्षेत्र में कन्वेंशनल सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशनों से विद्युत का आबंटन				
स्टेशन	स्थापित	दक्षिणी क्षेत्र में		
	क्षमता	आवंटित क्षमता	केरल	
	मेगावाट	मेगावाट	%	मेगावाट
(क) फर्म शेयर				
रामागुंडम स्टेज-I और II	2100.0	1690.0	11.67	245.0
रामागुंडम स्टेज-III	500.0	425.0	12.20	61.0
तालचेर स्टेज-II	2000.0	1500.0	12.35	247.0
सिम्हाद्री एसटीपीएस स्टेज-II यूनिट-1, 2	1000.0	850.0	8.09	80.9
सिम्हाद्री स्टेज-I	1000.0	1000.0		
कुडगी एसटीपीएस यूनिट-1, 2 और 3 (2400 मेगावाट)	2400.0	1140.0	4.38	105.0
एनएलसी टीपीएस-II स्टेज-I	630.0	535.0	10.00	63.0
एनएलसी टीपीएस-II स्टेज-II	840.0	715.0	10.71	90.0
एनएलसी टीपीएस-I ईएक्सपी.	420.0	357.0	14.00	58.8
एनएलसी टीपीएस-II ईएक्सपी.	500.0	425.0	14.00	70.0
एनएनटीपीएस-I यूनिट-I और II	1000.0	940.0	3.24	32.4
वैल्लूर एसटीपीएस यूनिट-1, 2 और 3	1500.0	1387.5	3.33	49.9
टीपीएल तूतीकोरिन यूनिट-1, 2	1000.0	881.5	7.25	72.5
मद्रास एपीएस	440.0	422.0	5.23	23.0
कैगा एपीएस यूनिट-1 और 2	440.0	374.0	8.64	38.0
कैगा एपीएस यूनिट-3 और 4	440.0	374.0	7.95	35.0
कुडनकुलम एनपीपी यूनिट-1	1000.0	850.0	13.30	133.0
कुडनकुलम एनपीपी यूनिट-2	1000.0	850.0	13.30	133.0
उप-जोड़ (क)	18210.0	14716.0		1537.5
(ख) अन्य क्षेत्रों से फर्म शेयर				
पूर्वी क्षेत्र में स्टेशनों से डीवीसी का अभ्यर्पित हिस्सा		35.0		
डीवीसी		600.0		150.0
नवीनगर टीपीएस जेवी (यूनिट-1, 2, 3 और 4)		11.0		
बाढ़ एसटीपीएस स्टेज-I (यूनिट-1)		80.0		
बाढ़ एसटीपीएस स्टेज-II (यूनिट-4 और 5)		97.0		
मुजफ्फपुर टीपीएस यूनिट-3 और 4		88.1		
बोंगाईगांव थर्मल पीपी		139.0		
उप-जोड़ (ख)		1050.2		150.0
(ग) कुल फर्म शेयर [ख=क+ख]		15766.2		1687.5
(घ) दक्षिणी क्षेत्र के सीजीएस की अनाबंटित क्षमता (इसी के अनुसार 18-22 घंटे)		2094.0		236.8
(ङ) सौर ऊर्जा के साथ बंडलिंग के लिए पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र से अनाबंटित क्षमता		200.0		
(च) पूर्वी क्षेत्र से अनाबंटित क्षमता		36.4		
(छ) बोंगाईगांव (उत्तरी क्षेत्र) से असंबद्ध क्षमता (इसी के अनुसार 18-22 घंटे)		1.4		
समर्पित स्टेशन				
कायाकुलम सीसीजीटी	360.0	360.0	100.00	360.0
उप-जोड़	360.0	360.0		360.0